**SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY**
**JOBNER-303 329, District – JAIPUR (RAJASTHAN) INDIA**
**Phone: 01425-254980, Email: registrar@sknau.ac.in**

No.: F.78/Estt/ Gen/Affiliation/SKNAU/9948. Dated: 16.06.2016

**OFFICE ORDER**

As per provision exists in University Act 2013, **G.L.Memorial Agriculture College, Kishangarh Bas, Distt.-Alwar** (Raj.) is hereby granted provisional affiliation for the academic session **2016-17** with following conditions:

1. The applicant / Registered Society / Trust proposing the college shall submit a declaration with an intent of commitment that the number of teaching posts, the qualifications of teaching staff and their recruitment / promotion procedures are as prescribed by the UGC and will adopt the statutes / ordinances / regulations of the University / State Government / UGC and course programme of study as per guidelines laid down by the University.
2. The college is required to comply with the suggestions / recommendations of inspecting committee. In future, affiliation will only be renewed subject to fulfilment of recommendations / conditions as suggested by the inspecting committee **(copy enclosed).**
3. The intake capacity i.e. number of students to be admitted in B.Sc. (Hons.) Ag. Programme through JET shall not exceed 60 students. The affiliation would be restricted to the academic programme only. The list of the students admitted through JET shall be submitted to University after the admission is over.
4. The affiliation shall be as per rules framed for affiliation of colleges with SKNAU, Jobner.

This bears the approval of the Hon'ble Vice Chancellor.

**Encl.: Inspection report.**

16/6/16
**(R.C.Kumawat)**
**Registrar**

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Additional Chief Secretary, Raj Bhawan, Jaipur.
2. The Additional Chief Secretary, Ag. Department, GOR, Secretariat, Jaipur.
3. The Commissioner, Ag. Department, Pant Krishi Bhawan, GOR, Jaipur.
4. The Commissioner, College Education Commissionerate, GOR, Jaipur.
5. The Jt. Director Ag.(Agron.) ATC, Agriculture Commissionerate, GOR, Jaipur w.r.to his order No. **प.8(5)आ0कृ0/ए.टी.सी./2016–17/1386-90 dated 02.06.2016.**
6. PS to the Hon'ble Vice Chancellor, SKNAU, Jobner.
7. All Deans / Directors of SKNAU, Jobner.
8. The **Coordinator, JET Exam., 2016, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology (MPUAT), Udaipur (Raj.).**
9. The Secretary / Principal, G.L.Memorial Agriculture College, Kishangarh Bas, Distt.-Alwar (Raj.).
10. The Controller of Examinations / Comptroller, SKNAU, Jobner.
11. PA to the Registrar, SKNAU, Jobner.
12. Guard file.

**Registrar** 16/6/16

दूरभाष नं. 0141–510..65
ई–मेल jdagr_atc 1@rediffmail.com

# राजस्थान सरकार
## कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक– प.8(5) आ0कृ0 / ए.टी.सी / 2016–17 / 1386-90 दिनांकः– 02/06/16

### आदेश

कृषि आयुक्तालय, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.8 (5) आ0कृ0 / ए.टी.सी. / 2015–16 / 2691–99 दिनांक 25.08.2015 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिए गणेशीलाल मैमोरियल कृषि महाविद्यालय, किशनगढवास जिला–अलवर को अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

गणेशीलाल मैमोरियल कृषि महाविद्यालय, किशनगढवास जिला– अलवर को शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिए जारी की गयी अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में शैक्षणिक सत्र 2016–17 के लिए अभिवृद्धि कृषि आयुक्तालय, जयपुर के उक्त आदेश क्रमांक एफ 8(5) आ0कृ0 / एटीसी / 2015–16 / 2691–99 दिनांक 25.08.2015 में दी गई शर्तो के अनुसार एतद् द्वारा जारी की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेश गौतम)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान)

क्रमांक– प.8(5) आ0कृ0 / ए.टी.सी / 2016–17 / 1386-90 दिनांकः– 02/06/16

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर।
2. नीजि सचिव प्रमुख शासन सचिव कृषि राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–3) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जिला जयपुर।
5. प्राचार्य गणेशीलाल मैमोरियल कृषि महाविद्यालय, किशनगढवास जिला– अलवर।
6. आरक्षी पंजिका।

(एस.के.हुड्डा)
संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य) एटीसी

दूरभाष नं. 0141–5101965
ई–मेल jdagr_atc 1@rediffmail.com

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक– एफ8(5 ) आ.कृ./एटीसी/2015–16/2691-99 दिनांक– 25/08/15

आदेश

शिक्षा सत्र 2015–16 से निजी क्षेत्र में नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त निम्न संस्था को उनके नाम के सम्मुख विषयों हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ जारी किया जाता है।

| क्र.सं. | संचालन संस्था का नाम व पता | महाविद्यालय का नाम व पता | सम्बद्धक विश्वविद्यालय | प्रस्तावित विषय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रतीक फाउंडेशन सोसायटी, किशनगढबास, जिला अलवर | गणेशीलाल मैमोरियल कृषि महाविद्यालय, किशनगढबास, जिला अलवर | श्री कर्ण नरेन्द्र कृषिविश्वविद्यालय, जोबनेर | सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा कृषि स्नातक के लिए संचालित पाठ्यक्रम |

1. संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डानुसार भवन निर्माण तथा अन्य आधार भूत संरचना के कार्य पूर्ण करवाकर निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को निरीक्षण हेतु सूचित करना होगा।
2. संस्था/महाविद्यालय को समय समय पर यू.जी.सी. तथा राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों/दिशा–निर्देशों की पालना शब्दशः करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में कक्षाऐं प्रारम्भ करने की अनुमति नही दी जायेगी। पूर्वाद्ध (प्रथम वर्ष) के कक्षाओं के लिए निर्धारित मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ द्वितीय वर्ष हेतु भी पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क के लिये राज्य सरकार का निर्णय मानने के लिए संस्था/महाविद्यालय बाध्य होगें।
5. संस्था/महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश पूर्व अधिकृत पाठ्यक्रम एवं संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. महाविद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं की सुनिश्चितता का दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय का होगा।
7. संस्था/महाविद्यालय को वर्तमान में या भविष्य में किसी प्रकार का अनुदान नही दिया जायेगा।
8. आवश्यकतानुसार राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकृत विभाग द्वारा संस्था का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी से कराया जा सकेगा। महाविद्यालय परिसर, मूलभूत सुविधाऐं, कक्षों का निरीक्षण कराना तथा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए संस्था/महाविद्यालय बाध्य होगा।
9. अस्थाई अनापत्ति में अभिवृद्धि हेतु संस्था/महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 मई के मध्य आवेदन करना अनिवार्य होगा।

10. निर्धारित पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों सहित) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर शिक्षक U.G.C योग्यताधारी न मिलनें पर A.I.C.T.E द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षक नियुक्त करना होगा।
11. विषयवार सीटों का आवंटन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कृषि विभाग को सूचित किया जायेगा। महाविद्यालय तद्नुसार काउन्सिलिंग के माध्यम से प्राप्त छात्र संख्या सीमा से अधिक छात्रों को प्रवेश नही देगें।
12. संस्था द्वारा स्थाई जमा 5 वर्ष के लिए रखना अनिवार्य है तथा प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् इसका नवीनीकरण किया जायेगा। जमा राशि को कम/अधिक करने का अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित होगा।
13. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय तथा संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी।
14. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के तीन वर्ष पश्चात ही स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
15. संस्था को कृषि महाविद्यालय का वर्ष में एक बार आयुक्त कृषि विभाग के द्वारा अधिकृत निरीक्षण दल से निरीक्षण कराना होगा और इस निरीक्षण की प्रति निम्न हस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
16. उपरोक्त शर्तो के साथ–साथ नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित करने हेतु जारी दिशा–निर्देश पुस्तिका वर्ष 2011–12 की पालना नही करने पर संस्था/कृषि महाविद्यालय को दी गई अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र बिना नोटिस दिये राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त रद्द की जा सकेगी।

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव एवं आयुक्त कृषि

क्रमांक– एफ8(5 ) आ.कृ./एटीसी/2015–16/2691-99 दिनांक– 25/08/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक मा0 कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, अलवर।
5. उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुलसचिव श्री कर्ण नरेन्द्र राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. संबंधित संचालक समिति प्रतीक फाउंडेशन सोसायटी, अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे, किशनगढबास, जिला अलवर।
8. आरक्षी पंजिका।

(एस.के.हुड्डा)
संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य)ए.टी.सी